राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	767/2023 कल्याणदत्त बनाम सूरजमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दिनांक 29/10/2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। उद्धरित तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पत्रावली को नियमित सुनवाई हेतु नियत किया जाता है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। दौराने बहस यह तथ्य जाहिर हुआ है कि स्व. रामनारायण की पैतृक सम्पत्ति बाबत प्रस्तुत विचाराधीन घोषणा एवं विभाजन के इस वाद में स्व. रामनारायण के समस्त विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवा लिये है, जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की ईजारा हेतु प्रस्तुत पत्रावली में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 भी प्रस्तुत किया जाना अपीलार्थी द्वारा जाहिर किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निस्तारित होना अभी शेष है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रभावित पक्षकारो के अभाव में त्रुटीपूर्ण हो जाती है। उक्त तथ्य के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने उक्त तथ्य उचित प्रतीत होते है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी का निस्तारण करने के उपरान्त ही निर्णय व डिक्री पारित किया जाना विधिसम्मत जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/05/2023 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रश्नाधीन प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी का विधिसम्मत निस्तारण करने के उपरान्त दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुनः पारित करे। तदनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	